



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल्स कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com

क्रमांक:- सर0/कृषि/23/2019-20-

दिनांक: -22.08.2019

अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0.) में फार्म के खण्ड 4 व खण्ड 5 में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य विवरण
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलीफेरा) को जड़ की सतह से काट कर अपने साधन में लादकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।
3.	जूलीफेरा को काटने के दौरान निकले हुए छॉगन को कुत्तर अपने साधन से करके, अपने साधन में लादकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।

उपरोक्त कार्यों के लिए धरोहर राशि रुपये 6000.00 प्रति चक निर्धारित है। निविदा दिनांक 09.10.2019 को शाम 3.00 बजे तक आमंत्रित कि जाती है व उसी दिन 3.30 बजे फार्म मुख्यालय में गठित समिति द्वारा उपस्थित पार्टियों के सामने खोली जायेगी।

अतः इच्छुक ठेकेदार/पार्टिया संबंधित कार्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि “**नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़**” के नाम से सुरतगढ़ में देय हो, फार्म खजान्ची के पास धरोहर राशि के रूप में जमा कराकर निविदा में भाग ले सकते हैं। नीलामी संम्बन्धी नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ली जा सकती है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड की फोटोप्रति व आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति निविदा के साथ सलंगन करनी होगी। टेण्डर फार्म रु.236/- (Including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेवसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

निदेशक
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com

फार्म प्रक्षेत्र में खड़े विभिन्न जूलीफेरा को जड़ की सतह से काटना तथा कुत्तर करने का कार्य करने के नियम व शर्तें ।

1. निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक कार्य हेतु रूपये 6000/- (रूपये छः हजार मात्र) प्रति चक जिसमें कार्य खड़ी विलायती कीकर (जूलीफेरा) की लकड़ी जड़ की सतह से काटना व कुत्तर करना) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि "नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़" के नाम से सुरतगढ़. में देय हो खजान्ची के पास जमा करवाने होगा, बैंक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
3. कार्य आवंटित होने के पश्चात यदि ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ता है तो उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
4. सक्षम अधिकारी/फार्म निदेशक को यह अधिकार होगा कि उच्चतम टेण्डर/बोली को स्वीकार करें अथवा नहीं करें। इसकी सूचना तुरन्त या अगले दिन घोषित कर दी जाएगी।
5. उखाड़ी व कुत्तर की जाने वाली लकड़ियों कि दर प्रति क्विंटल होगी, किसी भी प्रकार का सरकार को देय टैक्स इत्यादि अगर होगा तो उसका भुगतान पार्टी को स्वयं करना होगा।
6. कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफेरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज की देखरेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
7. अन्तिम रिलिज आदेश से पूर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलिज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
8. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनायेगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
9. प्रत्येक वाहन को सम्बन्धित खण्ड के धर्मकांटे पर तुलाई के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी तथा हर वाहन का गेट पास कटवाने के बाद ही माल बाहर जाने दिया जायेगा।
10. विलायती कीकर को उखाड़ने व कुत्तर बनाने के कार्य की अवधि 31.03.2020 तक होगी।
11. किसी भी प्रकार के अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी के पास बिना किसी कारण से निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित होगा।
12. किसी भी ठेकेदार या उसके कर्मी द्वारा फार्म अधिकारी/कर्मचारी से अनुशासनहीनता करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
13. ठेकेदार जो लेबर लागायेगा उनका पहचान पत्र/आधारकार्ड इत्यादि कार्यालय में जमा करना होगा।
14. कार्य करने का समय सुबह 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होगा। 5.00 बजे पश्चात कार्य करने के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य है।
15. ठेकेदार को सभी कार्य चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी की देखरेख व निर्देशानुसार करना होगा।
16. कार्य के दौरान श्रमिकों के साथ दुर्घटना/नुकसान इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
17. इस कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टी/ठेकेदार को रूपये 100/- (रूपये मात्र सौ) का नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर एग्रीमेन्ट के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा इसके बाद ही कार्य प्रारम्भ करने दिया जायेगा।
18. उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
19. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। विवाद के न सुलझने की स्थिति में, इस करार से सम्बन्धित पक्षकार के आवेदन पर सम्बन्धित विवाद को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 (Arbitration & conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) द्वारा निपटान किया जाएगा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। पक्षकार विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा न्यायालय जाने से पूर्व आर्बिट्रेशन के माध्यम से करेंगे।
20. आर्बिट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन के उपरांत भी कोई विवाद होता है तो न्याय हेतु सुरतगढ़ न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।

पार्टी का नाम व हस्ताक्षर

उपरोक्त नियम व शर्तें मैंने पूर्ण रूप से पढ़ व समझ ली है तथा मुझे मान्य है एवं इनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल् कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com

क्रमांक :- सर/कृषि/23/2019-20-

दिनांक: -

खण्ड संख्या/चक संख्या:-.....

विलायती कीकर (जूलीफेरा) को जड़ की सतह से काटने/कुत्तर करने का टेण्डर फार्म

क्र. सं.	कार्य विवरण	दर प्रति क्विंटल फार्म को जमा करवाऊंगा (रूपये में)
1.	विभिन्न चको में खड़ी विलायती कीकर (जूलीफेरा) को जड़ की सतह से काटकर कर अपने साधन में लादकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।
2.	जूलीफेरा काटने के दौरान निकले हुए छॉगन को कुत्तर अपने साधन में करके, अपने साधन में लादकर फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पिता का नाम :-

स्थायी पता :-

.....

.....

फोन नं. :-

पेन कार्ड नं. :-.....